राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ

एसबी आपराधिक विविध ॥ जमानत आवेदन संख्या 2857/2024

मुकेश कुमार खेदड़ पुत्र सुवालाल खेदड़ , निवासी ओलावली धानी रतनपुरा , तहसील व पुलिस थाना श्रीमाधोपुर । (वर्तमान में जिला कारागार सीकर में निरुद्ध)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) की ओर से : श्री कपिल गुप्ता
श्री ओम प्रकाश खर्रा
सुश्री निधि शर्मा
श्री चित्रांश सक्सेना
श्री आदर्श सिंघल

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री एम.के. श्योराण , पीपी
श्री महेंद्र सिंह बाजिया , औषधि नियंत्रण अधिकारी, सीकर
श्री पवन कुमार, एसआई, SHO पीएस बलारा , सीकर
श्री महेंद्र सिंह, जप्ती अधिकारी, थाना लक्ष्मणगढ़ , सीकर

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनिल कुमार उपमन

आदेश

घोषणा की तिथि : **20/04/2024**

प्रकाशनीय

1. यह याचिकाकर्ता की ओर से धारा 439 सीआरपीसी के तहत दूसरी जमानत याचिका है, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 22 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 419/2023 पुलिस स्टेशन रींगस, सीकर के संबंध में 09.08.2023 को गिरफ्तार किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर पिछली ज़मानत याचिका (सं.12357/2023) को इस न्यायालय ने दिनांक 12.12.2023 के आदेश द्वारा वापस लेते हुए खारिज कर दिया था और मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ज़मानत याचिका को नवीनीकृत करने की छूट दी थी। जाँच पूरी होने के बाद, इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने यह दूसरी ज़मानत याचिका दायर की है।

3. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता एक योग्य फार्मासिस्ट है और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी आवश्यक प्रमाण पत्र और लाइसेंस के आधार पर रींगस में यूनिक मेडिकल नामक मेडिकल स्टोर चला रहा है । तर्क दिया गया है कि 21.05.2023 को याचिकाकर्ता ने मोनोकॉफ़ी की 100 बोतलों का क्रय आदेश दिया था। प्लस सिरप (बैच संख्या TBHW044) लाइफकेयर फार्मा द्वारा। ये सामान (कफ सिरप) याचिकाकर्ता को लाइफकेयर फार्मा द्वारा 10.06.2023 को बिल/चालान (अनुलग्नक 5) के साथ कूरियर के माध्यम से भेजा गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.06.2023 के प्रभाव से, क्लोफेनिरामाइन मैलिएट प्लस कोडीन सिरप का निर्माण, बिक्री और वितरण निषिद्ध है। विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने खरीद आदेश के अनुसरण में दवाएं प्राप्त कीं, इसलिए दवाएं उसके मेडिकल स्टोर में मिलीं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अधिसूचना दिनांक 02.06.2023 के बाद बरामद दवाओं की एक भी बोतल नहीं बेची है, जो उसकी प्रामाणिकता को दर्शाता है ।

4. विद्वान वकील ने कहा कि पुलिस द्वारा एफआईआर में बताई गई घटना झूठी और मनगढ़ंत है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंधित पदार्थ की कथित बरामदगी उस स्थान पर नहीं की गई जहां इसे आरोप पत्र में दिखाया गया है । सही और वास्तविक तथ्य यह है कि पुलिस ने

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता के मेडिकल स्टोर से बरामदगी की थी जबकि आरोप पत्र में बरामदगी आजाद चौक , रींगस में दिखाई गई है । घटना के वास्तविक क्रम का वर्णन करते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 08.08.2023 को रात 10:02:46 बजे, एक पुलिस वैन याचिकाकर्ता के मेडिकल स्टोर पर आई जो कि सरकारी अस्पताल, रींगस के पास स्थित है जो आजाद चौक से काफी दूर है । रात 10:05:40 बजे, पुलिस वैन मेडिकल स्टोर से चली गई। रात 10:13:14 बजे, पुलिस वैन फिर से मेडिकल स्टोर पर आई लगभग 10-11 मिनट वहां रुकने के बाद पुलिस वैन मेडिकल स्टोर से चली गई। लगभग 10:29:45 बजे, कांस्टेबल अजय कुमार, आरोपी याचिकाकर्ता की लाल रंग की वर्ना कार में याचिकाकर्ता के साथ, आज़ाद चौक , रींगस गए जो याचिकाकर्ता की दुकान से 2 किलोमीटर दूर है और आज़ाद चौक पर सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं । याचिकाकर्ता के पिता द्वारा आईओ को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 09.08.2023 को 01:26 बजे, पुलिस वैन और ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह बाजिया की एक सफेद रंग की इको स्पोर्ट्स कार, फिर से याचिकाकर्ता के मेडिकल स्टोर के सामने आकर रुकी। सीसीटीवी फुटेज में याचिकाकर्ता की लाल रंग की वर्ना कार भी उसी समय वहां आती हुई दिखाई देती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नियमित जांच के

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

दौरान, 08.08.2023 को 11:55 बजे, पुलिस ने याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त गौरव कौशिक को एक लाल रंग की वर्ना कार (नंबर आरजे 14 सीआर 9760) में आज़ाद चौक , रींगस में रोका और जांच के दौरान, 100 बोतलें कफ सिरप अर्थात् क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट कोडीन फस्फे सिरप (100 एमएल प्रत्येक) बरामद की गईं। विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने सीसीटीवी फुटेज और याचिकाकर्ता के पक्ष में लाइफकेयर फार्मा द्वारा जारी बिलों के साथ एक विस्तृत प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया है, लेकिन जांच अधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन दस्तावेजों पर विचार किए बिना, उन्होंने केवल यह कहते हुए आरोप पत्र दायर किया है कि उन्हें कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि आईओ को सौंपे गए बिलों पर भी उनके द्वारा विचार नहीं किया गया था। जांच अधिकारी ने यह कहते हुए बिल देने से इनकार कर दिया कि वसूली के समय याचिकाकर्ता द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 09.08.2023 से जेल में है और मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लगेगा। याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए, वह तत्काल जमानत अर्जी स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं।

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

5. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने ज़मानत अर्ज़ी का पुरज़ोर विरोध किया है। श्री महेंद्र सिंह बाजिया , औषधि नियंत्रण अधिकारी, सीकर, श्री पवन कुमार, उपनिरीक्षक, थाना प्रभारी, थाना बलारा और श्री महेंद्र सिंह, ज़ब्ती अधिकारी, थाना लक्ष्मणगढ़ के निर्देशों के तहत , विद्वान लोक अभियोजक ने दलील दी है कि बरामदगी आज़ाद चौक , रींगस से हुई थी और पुलिस टीम कभी भी याचिकाकर्ता की दुकान पर नहीं गई थी। हालाँकि, जाँच अधिकारी सीसीटीवी फुटेज में दर्ज घटना के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए।

6. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की दवा की दुकान गडवाल डिजिटल स्टूडियो की दुकान संख्या 4 के बाईं ओर है, जो सरकारी अस्पताल, रींगस मोर्चरी रूम के सामने स्थित है । यह दुकान ओमप्रकाश की है। गडवाल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सुबह 09:09:23 बजे जब्ती अधिकारी महेंद्र सिंह उक्त स्टूडियो में आए और दुकान के मालिक को सीसीटीवी फुटेज मिटाने का निर्देश दिया, लेकिन इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई।

7. मैंने बार में प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया है तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

8. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 ज़मानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती। इसके अलावा, ज़मानत के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करे कि अभियुक्त दोषी नहीं है। कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि न्यायालय सामग्री को व्यापक रूप से देखे और तर्कसंगत रूप से देखे कि क्या अभियुक्त का अपराध सिद्ध हो सकता है। न्यायालयों से यह संतुष्टि दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है कि अभियुक्त दोषी नहीं हो सकता है, जो कि केवल प्रथम दृष्टया, एक उचित अध्ययन पर आधारित है, जिसके लिए जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री की सावधानीपूर्वक जाँच की आवश्यकता नहीं होती है।

9. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और बार में दी गई दलीलों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पास मेडिकल स्टोर चलाने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र और ड्रग लाइसेंस है, जो विवाद में नहीं है; याचिकाकर्ता ने विचाराधीन दवा की एक भी बोतल का निपटान या बिक्री नहीं की है, जिसे उसने बिलों के माध्यम से खरीदा था और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता ने आईओ को बिलों की प्रति और संबंधित सीसीटीवी फुटेज के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर आईओ ने ठीक से विचार नहीं किया था

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

और साथ ही आरोपी याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि और आपराधिक पूर्ववृत्त की अनुपस्थिति को देखते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

10. तदनुसार, यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता मुकेश कुमार खेदड़ पुत्र श्री सुवालाल एफआईआर संख्या 419/2023 पीएस रींगस , जिला सीकर के संबंध में गिरफ्तार खेदड़ को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) के व्यक्तिगत बांड के साथ 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) की राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, इस शर्त के साथ कि वह उस न्यायालय और किसी भी न्यायालय के समक्ष, जिसमें मामला स्थानांतरित किया गया है, सुनवाई की सभी आगामी तारीखों पर और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, उपस्थित होगा।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इस मामले में निष्पक्ष और उचित जाँच नहीं की गई

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

है। जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पिता द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत महत्वपूर्ण सामग्री (सीसीटीवी फुटेज और बिल आदि) पर विचार नहीं किया है। एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, यह न्यायालय दोषपूर्ण जाँच के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता, जिसे मामले में आगे की जाँच के निर्देश देकर ठीक किया जा सकता है/किया जाना चाहिए। यह न्यायालय याचिकाकर्ता के वकील द्वारा इंगित जाँच की कमियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

12. हमारी दंड व्यवस्था एक सुस्थापित नैतिकता या सिद्धांत पर काम करती है, जिसके अनुसार, सैकड़ों अपराधी छूट जाएँ, लेकिन एक भी निर्दोष को दंडित या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, न्यायालय अभियोजन पक्ष से अपेक्षा करता है कि वह अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करे। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 21, अर्थात् जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच और मुकदमे के दौरान अभियुक्त को प्राप्त अधिकारों के आलोक में व्यापक रूप से की है।

13. निष्पक्ष सुनवाई और जाँच, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इसलिए, कानून के शासन की मूल आवश्यकता यह है कि जाँच निष्पक्ष,

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

पारदर्शी और कानून के अनुसार हो। जाँच एजेंसी को दूषित और पक्षपातपूर्ण तरीके से जाँच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे यह मूल सिद्धांत नष्ट हो जाए कि किसी भी अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी सिद्ध न हो जाए।

14. भारत में, जाँच की ज़िम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। विशेष रूप से, अपराध की जाँच के लिए एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। एक जाँच अधिकारी पुलिस के लिए कई प्रकार के कार्य करता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XII (और नई भारतीय दंड संहिता का अध्याय XIII) नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023) एक जांच अधिकारी पर कई कर्तव्य डालती है, जिनमें से कुछ में अपराध की जांच करना, बयान दर्ज करना, साक्ष्य एकत्र करना, गिरफ्तारी करना, पूछताछ करना, आरोप पत्र दाखिल करना शामिल है। कानून के क्षेत्र में, यह एक आम धारणा है कि जांच अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी जांच को तेजी से और कुशलता से समाप्त करना है ताकि मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया जा सके। लेकिन यह केवल आधा सच है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज में जांच अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी सच्चाई का पता लगाना है। अपराध की जांच करते समय ध्यान में रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

वास्तविक सच्चाई को सामने लाना और जांच पूरी करने की दिशा में उठाए गए हर कदम के प्रति सचेत रहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनय त्यागी बनाम इरशाद अली में 2013 (5) एससीसी 762 में रिपोर्ट की, इसके दोहरे उद्देश्य हैं: पहला, जाँच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायसंगत और कानून के अनुसार होनी चाहिए; दूसरा, निष्पक्ष जाँच का पूरा ज़ोर सक्षम न्यायालय के समक्ष मामले की सच्चाई सामने लाने पर होना चाहिए। एक बार निष्पक्ष जाँच के इन दोनों मानदंडों की पूर्ति हो जाने पर, न्यायालय को जाँच में हस्तक्षेप करने की न्यूनतम आवश्यकता होगी, उसे रद्द करने या किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कानून के अनुसार निष्पक्ष और खोजी तरीकों से सच्चाई सामने लाने से अनुचित, कलंकित जाँच या झूठे आरोपों के मामलों का मूल आधार ही समाप्त हो जाएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अर्थ है भारतीय संविधान के भाग III में प्रदत्त उसके मौलिक अधिकारों को छीनना। इसका अर्थ है कि पुलिस को इस शक्ति का प्रयोग सावधानी से और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बाद ही करना चाहिए। इसलिए, कानून जाँच अधिकारियों के लिए शक्ति के मनमाने प्रयोग को सीमित करने हेतु कई नियम और सीमाएँ निर्धारित करता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

जल्दबाजी में गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, या यहाँ तक कि आरोपी के साथ क्रूरता भी करती है। इससे कानून की भूमिका चर्चा में आ जाती है। कानून का उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसी प्रकार, कानून पुलिस हिरासत में रहने के दौरान अभियुक्तों को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कई अधिकार निहित हैं, जैसे धारा-50, जो पुलिस अधिकारी पर यह दायित्व डालती है कि वह बिना वारंट के गिरफ्तारी होने पर अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताए। धारा 50-ए, पुलिस अधिकारी पर यह दायित्व डालती है कि वह अभियुक्त के परिवार, मित्रों या अन्य महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तारी की सूचना दे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 के तहत अभियुक्तों को कई अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। 1973. सर्वोच्च न्यायालय ने बाबूबाई बनाम गुजरात राज्य की रिपोर्ट 2010 (12) SCC 254 में कहा, "जांच अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह किसी भी अभियुक्त को किसी भी प्रकार की शरारत और उत्पीड़न से बचाते हुए जांच करे। जांच अधिकारी को निष्पक्ष और सचेत होना चाहिए ताकि साक्ष्यों के निर्माण की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके और उसके निष्पक्ष आचरण से साक्ष्यों की वास्तविकता के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। जांच अधिकारी का काम "केवल अभियोजन पक्ष के मामले को ऐसे साक्ष्यों

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

से मजबूत करना नहीं है जो अदालत को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम बना सकें, बल्कि वास्तविक और बेदाग सच्चाई को सामने लाना है"। अभियुक्तों को उपलब्ध ऐसा ही एक अधिकार अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना है। भले ही अभियुक्त द्वारा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया हो, फिर भी उसे प्राप्त करना जांच अधिकारी की ज़िम्मेदारी है। इस प्रकार की आवश्यकता इस संभावना से उत्पन्न होती है कि दस्तावेज़ अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को प्रभावित करेगा। यह एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण पुलिस बल और न्याय प्रणाली के कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जाँच अधिकारी अपराध की जाँच इस सोच के साथ करता है कि आरोप पत्र जल्द से जल्द दाखिल किया जाए , तो मामला स्वतः ही अभियुक्त के विरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, पुलिस को पक्षपात नहीं करना चाहिए और उपलब्ध प्रत्येक साक्ष्य पर विचार करना चाहिए, चाहे वह अभियुक्त के मामले में मददगार हो या न हो। यह एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए कि जाँच अधिकारी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य को नज़रअंदाज़ न करे। तभी जाँच निष्पक्ष, त्वरित और कुशल हो सकती है। जाँच अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि आपराधिक न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका दोहरी

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

है: सच्चाई सामने लाना और अभियुक्त को अदालत के सामने पेश करना।

15. यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि यदि किसी भी समय, किसी भी परीक्षण या पूछताछ के दौरान दोषपूर्ण जांच सामने आती है, तो आगे की जांच का निर्देश देकर इसे ठीक किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय को उपलब्ध अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के तहत कोई भी उपयुक्त रिट या निर्देश जारी किया जा सकता है और वर्तमान मामले में, आईओ के आचरण से अनुचित/पक्षपातपूर्ण जांच स्पष्ट है क्योंकि याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज जिसमें कैमरों में कैद सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं, स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि राज्य पुलिस अपने हित के लिए काम कर रही है, जिसके कारण वे ही बेहतर जानते हैं। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के पिता द्वारा विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया था जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी लाइसेंस के तहत दवाओं की खरीद के संबंध में बिल शामिल थे , इसके अलावा, इस मामले में जब्त की गई दवाओं की खरीद के बिलों के संबंध में कोई उचित जांच नहीं की गई

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

और केवल यह उल्लेख किया गया है कि जब्ती के समय कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था।

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निष्पक्ष जाँच नहीं की गई है और प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि पुलिस ने वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया है। अतः, इन परिस्थितियों में, इस मामले की आगे की जाँच किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा सत्य को सामने लाने के लिए आवश्यक है, जो कि जाँच एजेंसी का प्रमुख कर्तव्य है। मैं विनुभाई मामले में पारित निर्णय से अपने मत को पुष्ट करता हूँ। हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य मामले में [2019] 0 एआईआर (एससी) 5233 में रिपोर्ट की गई जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:

> "27. राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 2 एससीसी 322, एक प्रारंभिक निर्णय है जो आरोप-पत्र दायर होने के बाद धारा 173(8) में निहित शक्ति से संबंधित है। इस न्यायालय ने विधि आयोग की रिपोर्ट और कई निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत पुलिस को बार-बार जांच करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। इसके बाद इसने एचएन ऋषभ बनाम दिल्ली राज्य एआईआर 1955 एससी 196 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय को इस प्रकार उद्धृत किया:

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

"17. एचएन ऋषभ बनाम दिल्ली राज्य [एआईआर 1955 एससी 196: (1955) 1 एससीआर 1150: 1955 क्रि एलजे 526] में इस न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के बाद भी आगे की जांच की संभावना पर विचार किया। यह देखते हुए कि जांच से उत्पन्न पुलिस रिपोर्ट धारा 190 सीआरपीसी में संज्ञान लेने वाली सामग्री के रूप में प्रदान की गई थी, यह बताया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि एक वैध और कानूनी पुलिस रिपोर्ट संज्ञान लेने के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आधार थी। यह माना गया कि जहां मामले का वास्तव में संज्ञान लिया गया था और मामला समाप्ति की ओर बढ़ गया था, पूर्ववर्ती जांच की अमान्यता ने परिणाम को तब तक दूषित नहीं किया जब तक कि न्याय का गर्भपात न हो गया हो। यह कहा गया था कि जांच में एक दोष या अवैधता, हालांकि गंभीर है, संज्ञान या परीक्षण से संबंधित प्रक्रिया की क्षमता पर कोई सीधा असर नहीं डालती है। देखा:

"इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय को मुकदमे के दौरान जाँच की अवैधता को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए। जब ऐसे अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन की जानकारी न्यायालय को पर्याप्त प्रारंभिक चरण में ही हो जाती है, तो न्यायालय को संज्ञान लेने से इनकार न करते हुए, अवैधता को दूर करने और दोष को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, और इसके लिए उसे व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों के अनुसार पुनः जाँच का आदेश देना होगा।"

यह निर्णय इस दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल इसलिए कि मामले का संज्ञान न्यायालय द्वारा ले लिया गया है, आगे की

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

जांच की संभावना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती; यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो मुकदमे के दौरान प्रकाश में आने वाली दोषपूर्ण जांच को आगे की जांच द्वारा ठीक किया जा सकता है।"

17. उपर्युक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में और चूंकि वर्तमान में इस न्यायालय के पास 482 सीआरपीसी का रोस्टर है , न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना और मामले में आगे की जांच का निर्देश देना उचित समझता है। तदनुसार, पुलिस अधीक्षक, सीकर को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले की आगे की जांच एक सक्षम अधिकारी को सौंपे, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा। आईओ, जिसे आगे की जांच सौंपी जाएगी, जांच को शीघ्रता से समाप्त करेगा और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आगे की जांच का परिणाम प्रस्तुत करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नव नियुक्त जांच अधिकारी सच्चाई को उजागर करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य एकत्र करेगा। आगे की जांच के परिणाम प्रस्तुत किए जाने तक, विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी।

18. इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, सीकर को आवश्यक अनुपालना हेतु तुरन्त प्रेषित की जाएगी।

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)

19. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(अनिल कुमार उपमान) ,जे

सुधीर असोपा /16

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(29/05/2025 को 01:40:21 PM पर डाउनलोड किया गया)